संख्या : 505/ XXXVIII(i) VIII /150–वि0प्रो0/2005

प्रेषक,

डा0 एस0एस0 संधु,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

वित्त नियंत्रक,
गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय,
पंतनगर, उधमसिंहनगर ।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग देहरादून दिनांक : 30 मार्च, 2005

विषय : उत्तरांचल राज्य बायोटेक्नोलाजी कार्यक्रम के अन्तर्गत सेंटर आफ एक्सीलेंस इन माउंटेन बायोलॉजी (सी0ई0एम0बी0) के लैबोरेट्री भवन आदि के निर्माण हेतु आयोजनागत पक्ष में धनराशि का आबंटन ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक डा0 एल0एम0एस0 पालनी, वरिष्ठ वैज्ञानिक सलाहकार – बायोटेक्नोलाजी एवं परियोजना निदेशक हल्दी पंतनगर के पत्र संख्या : बा0टे0म0/05 दिनांक 14.फरवरी–2005 एवं पत्र संख्या : बा0टे0म0/2005/239 दिनांक 16.मार्च–2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल राज्य बायोटेक्नोलाजी कार्यक्रम के अन्तर्गत सेंटर आफ एक्सीलेंस इन माउंटेन बायोलॉजी (सी0ई0एम0बी0) के लैबोरेट्री भवन हेतु उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम, हल्द्वानी द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षित प्रारम्भिक आगणन रूपये 116.73 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरांत संस्तुत रूपये 95.34 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसके सापेक्ष रूपये 57,83,000/– (रूपये सत्तावन लाख तिरयासी हजार मात्र) की धनराशि के व्यय की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ आपके निवर्तन पर स्वीकृत की जा रही है, कि प्रश्नगत धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष 2004–05 में करने का कष्ट करें, यदि तिथि के उपरान्त कोई धनराशि शेष बचती है, तो उसका नियमानुसार शासन को समर्पण कर दिया जायेगा। उक्त धनराशि के उपभोग का उपयोगिता प्रमाण पत्र, कार्य की भौतिक प्रगति सहित शासन को उपलब्ध करायी जाये। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है। व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

3– उपरोक्त स्वीकृत धनराशि से सम्बन्धित बिल आपके द्वारा तैयार कर इन बिलों पर जिलाधिकारी उधमसिंहनगर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किए जाने के उपरांत ही कोषागार में जमा किया जायेगा ।

4– कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेंसी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

5– कार्य करते समय टैण्डर आदि विषयक विधयों का भी अनुपालन किया जायेगा।

6– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.मार्च–2005 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा, और भवन भी हस्तगत करा दिया जायेगा ।

7– कार्य करने के पूर्व यदि किसी तकनीकी अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो तो वो प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

7ए– कार्य इसी लागत में पूर्ण कर लिया जायेगा और यदि विलम्ब या अन्य कारणों से इसकी लागत में बढ़ोत्तरी होती है तो उसके लिए कोई अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी।

8– टी0ए0सी0 के निम्न बिन्दु (1) से (8) तक में दर्शायी गयी शर्तों/प्रतिबन्धों का पूर्ण रूप से अनुपालन कराया जाय।

(1) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता को अनुमोदन आवश्यक होगा।

(2) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/ मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(3) कार्य का उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(4) एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(5) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(6) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांती निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

(7) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाये, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाये।

(7)–ए– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।

(8) यदि स्वीकृत राशि में स्थल विकास कार्य सम्भव न हो, तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन मानचित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, स्वीकृति राशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाए।

9– व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिनके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है ।

10– स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय / भौतिक प्रगति का विवरण उपलब्ध कराने पर ही आगामी किस्त अवमुक्त की जावेगी ।

11– कार्य करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज रूल्स एवं मितव्यतता के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा।

12– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 हेतु अनुदान संख्या–23 मुख्य लेखाशीर्षक 3425–अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 60–अन्य, 04–गो0ब0प0क0वि0वि0पंतनगर में बायोटेक्नलोजी पार्क की स्थापना –आयोजनागत ,00 के अन्तर्गत मानक मद संख्या–42–अन्य व्यय के अन्तर्गत किया जायेगा ।

13– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः यू0ओ0 1043 / वि0अनु0–3 / 2005,दिनांकः,30,मार्च–2005 के अन्तर्गत प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(डा0 एस0एस0 संधू)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 505 / XXXVIII(i)VIII / 150–वि0प्रो0 / 2004, तद्दिनांक :–
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून
2– जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर ।
3– कोषाधिकारी, उधमसिंहनगर ।
4– निजी सचिव, मा0 मुख्यमन्त्री।
5– डा0 एल0एम0एस0 पालनी,वरिष्ठ वैज्ञानिक सलाहकार, हल्दी पंतनगर ।
6– श्री एल0एम0 पन्त, अपर सचिव, वित्त बजट।
7– प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम, हल्द्वानी जिला नैनीताल ।
8– वित्त अनुभाग–3
9– नियोजन–विभाग, उत्तरांचल शासन / एन0आई0सी0 सचिवालय।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0चौहान)
अनुसचिव।